रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—10 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—10

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 33] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 20, 2010/ श्रावण 29, 1932
No. 33] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 2010 / SRAVANA 29, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, August 20, 2010/Sravana 29, 1932 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 19th August, 2010, and is hereby published for general information:—

THE FOREIGN TRADE (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2010

No. 25 OF 2010

[*19th August*, 2010.]

An Act to amend the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (*1*) This Act may be called the Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Act, 2010. Short title and commencement.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (hereinafter referred to as the principal Act),— 22 of 1992.

(*a*) for clause (*e*), the following shall be substituted, namely:—

'(*e*) "import" and "export" means,—

(*I*) in relation to goods, bringing into, or taking out of, India any goods by land, sea or air;

(*II*) in relation to services or technology,—

(*i*) supplying, services or technology—

(*A*) from the territory of another country into the territory of India;

(*B*) in the territory of another country to an Indian service consumer;

(*C*) by a service supplier of another country, through commercial presence in India;

(*D*) by a service supplier of another country, through presence of their natural persons in India;

(*ii*) supplying, services or technology—

(*A*) from India into the territory of any other country;

(*B*) in India to the service consumer of any other country;

(*C*) by a service supplier of India, through commercial presence in the territory of any other country;

(*D*) by a service supplier of India, through presence of Indian natural persons in the territory of any other country:

Provided that "import" and "export" in relation to the goods, services and technology regarding Special Economic Zone or between two Special Economic Zones shall be governed in accordance with the provisions contained in the Special Economic Zones Act, 2005.'; 28 of 2005.

(*b*) after clause (*i*), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(*j*) "services" means service of any description which is made available to potential users and includes all the tradable services specified under the General Agreement on Trade in Services entered into amongst India and other countries who are party to the said Agreement:

Provided that, this definition shall not apply to the domain of taxation;

(*k*) "service supplier" means any person who supplies a service and who intends to take benefit under the foreign trade policy;

(*l*) "specified goods or services or technology" means the goods or services or technology, the export, import, transfer, re-transfer, transit and trans-shipment of which is prohibited or restricted because of imposition of conditions on the grounds of their being pertinent or relevant to India as a Nuclear Weapon State, or to the national security of India, or to the furtherance of its foreign policy or its international obligations under any bilateral, multilateral or international treaty, convenant, convention or arrangement relating to weapons of mass destruction or their means of delivery to which India is a party or its agreement with a foreign country under the foreign trade policy formulated and notified under section 5 of the Act;

(*m*) "technology" means any information (including information embodied in software), other than information in the public domain, that is capable of being used in—

(*i*) the development, production or use of any goods or software;

(*ii*) the development of, or the carrying out of, an industrial or commercial activity or the provision of service of any kind.

Explanation.— For the purpose of this clause—

(*a*) when technology is described wholly or partly by reference to the uses to which it (or the goods to which it relates) may be put, it shall include services which are provided or used, or which are capable of being used in the development, production or use of such technology or goods;

(*b*) "public domain" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*i*) of section 4 of the Weapons of Mass Destruction and their
21 of 2005. Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005.'.

Amendment of title of Chapter II.

3. In the principal Act, in sub-heading below "Chapter II", for the words "EXPORT AND IMPORT POLICY", the words "FOREIGN TRADE POLICY" shall be substituted.

Amendment of section 3.

4. In section 3 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (*2*),—

(*i*) for the words "import or export of goods", the words "import or export of goods or services or technology" shall be substituted;

(*ii*) after sub-section (*2*), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the provisions of this sub-section shall be applicable, in case of import or export of services or technology, only when the service or technology provider is availing benefits under the foreign trade policy or is dealing with specified services or specified technologies.".

(*b*) after sub-section (*3*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*4*) without prejudice to anything contained in any other law, rule, regulation, notification or order, no permit or licence shall be necessary for import or export of any goods, nor any goods shall be prohibited for import or export except, as may be required under this Act, or rules or orders made thereunder.".

Substitution of new section for section 5.

5. For section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Foreign Trade Policy.

"5. The Central Government may, from time to time, formulate and announce, by notification in the Official Gazette, the foreign trade policy and may also, in like manner, amend that policy:

Provided that the Central Government may direct that, in respect of the Special Economic Zones, the foreign trade policy shall apply to the goods, services and technology with such exceptions, modifications and adaptations, as may be specified by it by notification in the Official Gazette.".

Amendment of section 6.

6. In section 6 of the principal Act, in sub-section (*2*), for the words "export and import policy", the words "foreign trade policy" shall be substituted.

Amendment of section 7.

7. In section 7 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of import or export of services or technology, the Importer-exporter Code Number shall be necessary only when the service or technology provider is taking benefits under the foreign trade policy or is dealing with specified services or specified technologies.".

Amendment of section 8.

8. In section 8 of the principal Act,—

(*A*) for sub-section (*1*), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(*1*) Where—

(*a*) any person has contravened any of the provisions of this Act or any rules or orders made thereunder or the foreign trade policy or any other law for the time being in force relating to Central excise or customs or foreign exchange or has committed any other economic offence under any other law for the time being in force as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette; or

(*b*) the Director General or any other officer authorised by him has reason to believe that any person has made an export or import in a manner prejudicial to the trade relations of India with any foreign country or to the interests of other persons engaged in imports or exports or has brought disrepute to the credit or the goods of, or services or technology provided from, the country; or

(*c*) any person who imports or exports specified goods or services or technology, in contravention of any provision of this Act or any rules or orders made thereunder or the foreign trade policy,

the Director General or any other officer authorised by him may call for the record or any other information from that person and may, after giving to that person a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to suspend or cancel the Importer-exporter Code Number and after giving him a reasonable opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice and, if that person so desires, of being heard, suspend for a period, as may be specified in the order, or cancel the Importer-exporter Code Number granted to that person.";

(*B*) in sub-section (*2*), for the words "import or export any goods", the words "import or export any goods or services or technology" shall be substituted.

Amendment of section 9.

9. In section 9 of the principal Act,—

(*a*) in sub-sections (*1*), (*3*), (*4*) and (*5*), for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(*b*) for sub-section (*2*), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(*2*) The Director General or an officer authorised by him may, on an application and after making such inquiry as he may think fit, grant or renew or refuse to grant or renew a licence to import or export such class or classes of goods or services or technology as may be prescribed and, grant or renew or refuse to grant or renew a certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefit, after recording in writing his reasons for such refusal.".

Insertion of new Chapter IIIA.

10. After Chapter III of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely:—

'CHAPTER IIIA

QUANTITATIVE RESTRICTIONS

Power of Central Government to impose quantitative restrictions.

9A. (*1*) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any goods are imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic industry, it may, by notification in the Official Gazette, impose such quantitative restrictions on the import of such goods as it may deem fit:

Provided that no such quantitative restrictions shall be imposed on any goods originating from a developing country so long as the share of imports of such goods from that country does not exceed three per cent. or where such goods originate from

more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from all such countries taken together does not exceed nine per cent. of the total imports of such goods into India.

(*2*) The quantitative restrictions imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the quantitative restrictions should continue to be imposed to prevent such injury or threat and to facilitate the adjustments, it may extend the said period beyond four years:

Provided further that in no case the quantitative restrictions shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such restrictions were first imposed.

(*3*) The Central Government may, by rules provide for the manner in which goods, the import of which shall be subject to quantitative restrictions under this section, may be identified and the manner in which the causes of serious injury or causes of threat of serious injury in relation to such goods may be determined.

(*4*) For the purposes of this section—

(*a*) "developing country" means a country notified by the Central Government in the Official Gazette, in this regard;

(*b*) "domestic industry" means the producers of goods (including producers of agricultural goods)—

(*i*) as a whole of the like goods or directly competitive goods in India; or

(*ii*) whose collective output of the like goods or directly competitive goods in India constitutes a major share of the total production of the said goods in India;

(*c*) "serious injury" means an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry;

(*d*) "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.'.

Amendment of section 10.

11. In section 10 of the principal Act, for sub-section (*1*), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, authorise any person for the purposes of exercising such powers with respect to,—

(*a*) entering such premises where the goods are kept, stored or processed, manufactured, traded or supplied or received for the purposes of import or export and searching, inspecting and seizing of such goods, documents, things and conveyances connected with such import and export of goods;

(*b*) entering such premises from which the services or technology are being provided, supplied, received, consumed or utilised and searching, inspecting and seizing of such goods, documents, things and conveyances connected with such import and export of services and technology,

subject to such requirements and conditions and with the approval of such officer, as may be prescribed:

Provided that the provisions of clause (*b*) shall be applicable, in case of import of export of services or technology, only when the service or technology provider is availing benefit under the foreign trade policy or is dealing with specified services or specified technologies.

Subsitution of new section for section 11.

12. For section 11 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Contravention of provisions of this Act, rules, orders and foreign trade policy.

11. (*1*) No export or import shall be made by any person except in accordance with the provisions of this Act, the rules and orders made thereunder and the foreign trade policy for the time being in force.

(*2*) Where any person makes or abets or attempts to make any export or import in contravention of any provision of this Act or any rules or orders made thereunder or the foreign trade policy, he shall be liable to a penalty of not less than ten thousand rupees and not more than five times the value of the goods or services or technology in respect of which any contravention is made or attempted to be made, whichever is more.

(*3*) Where any person signs or uses, or causes to be made, signed or used, any declaration, statement or document submitted to the Director General or any officer authorised by him under this Act, knowing or having reason to believe that such declaration, statement or document is forged or tampered with or false in any material particular, he shall be liable to a penalty of not less than ten thousand rupees or more than five times the value of the goods or services or technology in respect of which such declaration, statement or document had been submitted, whichever is more.

(*4*) Where any person, on a notice to him by the adjudicating Authority, admits any contravention, the Adjudicating Authority may, in such class or classes or cases and in such manner as may be prescribed, determine, by way of settlement, an amount to be paid by that person.

(*5*) A penalty imposed under this Act may, if it is not paid by any person, be recovered by any one or more of the following modes, namely:—

(*a*) the Director General may deduct or require any officer subordinate to him to deduct the amount payable under this Act from any money owing to such person which may be under the control of such officer; or

(*b*) the Director General may require any officer of customs to deduct the amount payable under this Act from any money owing to such person which may be under the control of such officer of customs, as if the said amount is payable under the Customs Act, 1962; or 52 of 1962.

(*c*) the Director General may require the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or any other officer of Customs to recover the amount so payable by detaining or selling any goods (including the goods connected with services or technology) belonging to such person which are under the control of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner or Customs or any other officer of Customs, as if the said amount is payable under the Customs Act, 1962; or 52 of 1962.

(*d*) if the amount cannot be recovered from such person in the manner provided in clauses (*a*), (*b*) and (*c*),—

(*i*) the Director General or any officer authorised by him may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such person and send it to the Collector of the District in which such person owns any property or resides or carries on business and the said Collector on receipt of such certificate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue; or

(*ii*) the Director General or any officer authorised by him (including an officer of Customs who shall then exercise his powers under the Customs Act, 1962) and in accordance with the rules made in this behalf, 52 of 1962. detain any movable or immovable property belonging to or under the control of such person, and detain the same until the amount payable is paid, as if the said amount is payable under the Customs Act, 1962; and in

case, any part of the said amount payable or of the cost of the distress or keeping of the property, remains unpaid for a period of thirty days next after any such distress, may cause the said property to be sold and with the proceeds of such sale, may satisfy the amount payable and costs including cost of sale remaining unpaid and shall render the surplus, if any to such person.

(*6*) Where the terms of any bond or other instrument executed under this Act or any rules made thereunder provide that any amount due under such instrument may be recovered in the manner laid down in sub-section (*5*), the amount may, without prejudice to any other mode of recovery, be recovered in accordance with the provisions of that sub-section.

(*7*) without prejudice to the provisions contained in this section, the Importer-Exporter Code Number of any person who fails to pay any penalty imposed under this Act, may be suspended by the Adjudicating Authority till the penalty is paid or recovered, as the case may be.

(*8*) Where any contravention of any provision of this Act or any rules or orders made thereunder or the foreign trade policy has been, is being, or is attempted to be, made, the goods (including the goods connected with services or technology) together with any package, covering or receptacle and any conveyances shall, subject to such conditions and requirements as may be prescribed, be liable to confiscation by the Adjudicating Authority.

(*9*) The goods (including the goods connected with services or technology) or the conveyance confiscated under sub-section (*8*) may be released by the Adjudicating Authority, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, on payment by the person concerned of the redemption charges equivalent to the market value of the goods or conveyance, as the case may be."

Insertion of new sections 11A and 11B.

13. After section 11 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

Crediting sums realised by way of penalties in Consolidated Fund of India.

"11A. All sums realised by way of penalties under this Act shall be credited to the Consolidated Fund of India.

Empowering Settlement Commission for regularisation of export obligation default.

1 of 1944.

11B. Settlement of customs duty and interest thereon as ordered by the Settlement Commission as constituted under section 32 of the Central Excise Act, 1944, shall be deemed to be a settlement under this Act.".

Amendment of section 14.

14. In section 14 of the principal Act, for the word "goods" at both the places where it occurs, the words and brackets "goods (including the goods connected with services or technology)" shall be substituted.

Insertion of a new Chapter IVA.

15. After Chapter IV of the principal Act, following Chapter shall be inserted, namely:—

"CHAPTER IVA

CONTROLS ON EXPORT OF SPECIFIED GOODS, SERVICES AND TECHNOLOGY

Controls on export of specified goods, services and technology.

21 of 2005.

14A. (*1*) In regard to controls on export of specified goods, services and technology referred to in this Chapter, the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 shall apply to exports, transfers, re-transfers, brought in transit, trans-shipment of, and brokering in specified goods, technology or services.

(2) All terms, expressions or provisions of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 shall apply to the specified goods, services or technology with such exceptions, modifications and adaptations as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette. 21 of 2005.

(3) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any of the provisions of this Chapter—

(a) shall not apply to any goods, services or technologies, or

(b) shall apply to any goods, services or technologies with such exceptions, modifications and adaptations as may be specified in the notification.

Transfer controls.

14B. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules in conformity with the provisions of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 for, or, in connection with, the imposition of controls in relation to transfer of specified goods, services or technology. 21 of 2005.

(2) No goods, services or technology notified under this Chapter shall be exported, transferred, re-transferred, brought in transit or transshipped except in accordance with the provisions of this Act, the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 or any other relevant Act. 21 of 2005.

Catch-all controls.

14C. No person shall export any material, equipment or technology knowing that such material, equipment or technology is intended to be used in the design or manufacture of a biological weapon, chemical weapon, nuclear weapon or other nuclear explosive device, or in their missile delivery systems.

Suspension or cancellation of a licence.

14D. The Director General or an officer authorised by him may, by order, suspend or cancel a licence to import of export or specified goods or services or technology without giving the holder of the licence a reasonable opportunity of being heard but such person shall be given a reasonable opportunity of being heard within six months of such order and thereupon the Director General or the officer so authorised may, if necessary, by order in writing, confirm, modify or revoke such order.

Offences and penalties.

14E. (1) In case of a contravention relating to specified goods, services or technologies, the penalty shall be in accordance with the provisions of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005. 21 of 2005.

(2) Where any person contravenes or attempts to contravene or abets, any of the provision(s) of this Chapter in relation to import or export of any specified goods or services or technology, he shall, without prejudice to any penalty which may be imposed on him, be punishable with imprisonment for a term stipulated in the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005. 21 of 2005.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Chapter without the previous sanction of the Central Government or any officer authorised in this behalf by the Central Government by general or special order.".

Amendment of title of Chapter V.

16. In the principal Act, in sub-heading below "CHAPTER V", for the word "REVISION", the word "REVIEW" shall be substituted.

Amendment of section 15.

17. In section 15 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the word "goods", the words and brackets "the goods (including the goods connected with services or technology)" shall be substituted.

18. For section 16 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:— Substitution of new section for section 16.

16. "The Central Government, in the case of any decision or order made by the Director General, or the Director General in the case of any decision or order made by any officer subordinate to him, may on its or his own motion or otherwise, call for and examine the records of any proceeding, for the purpose of satisfying itself or himself, as the case may be, as to the correctness, legality or propriety of such decision or order and make such orders thereon as may be deemed fit: Review.

Provided that no decision or order shall be varied under this section so as to prejudicially affect any person unless such person—

(*a*) has, within a period of two years from the date of such decision or order, received a notice to showcause why such decision or order shall not be varied; and

(*b*) has been given a reasonable opportunity of making representation and, if he so desires, of being heard in his defence.".

19. In section 17 of the principal Act, for the word "Revision" wherever it occurs, the word "Review" shall be substituted. Amendment of section 17.

20. After section 18 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:— Insertion of new section 18A.

"18A. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.". Application of other laws not barred.

21. In section 19 of the principal Act, in sub-section (*2*), — Amendment of section 19.

(*a*) in clause (*b*), for the word "licence", the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(*b*) for clause (*c*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*c*) the class or classes of goods (including the goods connected with service or technology) for which a licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits may be granted under sub-section (*2*) of section 9;";

(*c*) in clauses (*d*) and (*e*), for the word "licence", the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;

(*d*) after clause (*e*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*ea*) the matter in which goods the import of which shall be subject to quantitative restrictions, may be identified and the manner in which the causes of serious injury or causes of threat of serious injury in relation to such goods may be determined under sub-section (*3*) of section 9A;";

(*e*) in clause (*f*), for the word "goods", the words and brackets "goods (including the goods connected with the service or technology)" shall be substituted;

(*f*) in clause (*g*), for the words, brackets and figures "sub-section (3) of section 11", the words, brackets and figures "sub-section (*4*) of the section 11" shall be substituted;

(*g*) for clause (*h*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*h*) the requirements and conditions subject to which goods (including the goods connected with the service or technology) and conveyances shall be liable to confiscation under sub-section (*8*) of section 11;";

(*h*) for clause (*i*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*i*) the manner in which and the conditions subject to which goods (including the goods connected with the service or technology) and conveyances may be released on payment of redemption charges under sub-section (*9*) of section 11.".

V. K. BHASIN,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010.

GMGIPMRND—4118GI(S-4)—25.08.2010.

[राज्य सभा द्वारा 9 अगस्त, 2010 को पारित रूप में]

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 25)

[19 अगस्त, 2010]

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

1992 का 22 2. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ङ) "आयात" और "निर्यात" से अभिप्रेत है,—

(I) माल के संबंध में, भूमि मार्ग, समुद्री मार्ग या वायुमार्ग से किसी माल को भारत में लाना या भारत से बाहर ले जाना;

(II) सेवाओं या प्रौद्योगिकी के संबंध में,—

(i) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को,—

(क) किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र से भारत के राज्यक्षेत्र में प्रदाय करना;

(ख) किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र में किसी भारतीय सेवा उपभोक्ता को प्रदाय करना;

(ग) किसी अन्य देश के किसी सेवा प्रदाता द्वारा, भारत में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से प्रदाय करना;

(घ) किसी अन्य देश के किसी सेवा प्रदाता द्वारा भारत में उनके प्रकृत व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से प्रदाय करना;

(ii) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को —

(क) भारत से किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र को प्रदाय करना;

(ख) भारत में किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ता को प्रदाय करना;

(ग) भारत के किसी सेवा प्रदाता द्वारा, किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से प्रदाय करना;

(घ) भारत के किसी सेवा प्रदाता द्वारा किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र में भारतीय प्रकृत व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से प्रदाय करना:

परंतु विशेष आर्थिक जोन के संबंध में या दो विशेष आर्थिक जोनों के मध्य माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के संबंध में "आयात" और "निर्यात", विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रशासित होंगे।'; 2005 का 28

(ख) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ञ) "सेवाओं" से किसी ऐसे प्रकार की सेवा अभिप्रेत है, जो संभावी उपयोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और जिसके अंतर्गत भारत और अन्य देशों के बीच जो उक्त करार के पक्षकार हैं, किए गए सेवाओं में व्यापार के साधारण करार के अधीन, विनिर्दिष्ट सभी व्यापारिक सेवाएं भी हैं:

परंतु यह परिभाषा कराधान के क्षेत्र को लागू नहीं होगी;

(ट) "सेवा प्रदायकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सेवा का प्रदाय करता है और जो विदेशी व्यापार नीति के अधीन फायदा लेने का आशय रखता है;

(ठ) "विनिर्दिष्ट माल या सेवा या प्रौद्योगिकी" से ऐसे माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी अभिप्रेत हैं, जिसका निर्यात, आयात, अंतरण, पुनः अंतरण, अभिवहन और पोतांतरण किसी नाभिकीय शस्त्र राज्य के रूप में भारत से या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से या सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली से संबंधित किसी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय संधि, प्रसंविदा, अभिसमय या ठहराव के, जिसका भारत एक पक्षकार है या अधिनियम की धारा 5 के अधीन विरचित और अधिसूचित विदेश व्यापार नीति के अधीन किसी विदेश के साथ उसके करार के अधीन उसकी विदेश नीति या उसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को अग्रसर करने से संबंधित या सुसंगत होने के आधारों पर शर्तों के अधिरोपण के कारण प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित है;

(ड) "प्रौद्योगिकी" से लोकाधिकार क्षेत्र में सूचना से भिन्न, ऐसी कोई सूचना (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर में सम्मिलित कोई सूचना भी है) अभिप्रेत है, जो—

(i) किसी माल या साफ्टवेयर के विकास, उत्पादन या उपयोग में;

(ii) किसी औद्योगिक या व्यापारिक क्रियाकलाप के विकास में या उसको करने में या किसी प्रकार की सेवाओं का उपबंध करने में,

उपयोग किए जाने के लिए सक्षम है।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजन के लिए,—

(क) जब प्रौद्योगिकी पूर्णतः या भागतः ऐसे उपयोगों के प्रतिनिर्देश से वर्णित की गई हो, जिसमें उसका (या ऐसे माल का, जिससे वह संबंधित है) उपयोग किया जा सकता है, तब उसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं भी होंगी, जो ऐसी प्रौद्योगिकी या माल के विकास, उत्पादन या उपयोग में उपलब्ध कराई जाती हैं या उपयोग की जाती हैं या उपयोग किए जाने के लिए समर्थ हैं;

2005 का 21 (ख) ''लोकाधिकारी क्षेत्र'' का वही अर्थ होगा, जो सामूहिक संहार के आयुध और परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 4 के खंड (i) में है।'।

3. मूल अधिनियम में, ''अध्याय 2'' के नीचे उपशीर्ष में, ''निर्यात और आयात नीति'' शब्दों के स्थान पर, ''विदेश व्यापार नीति'' शब्द रखे जाएंगे। अध्याय 2 के शीर्ष का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,— धारा 3 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,—

(i) ''माल का आयात या निर्यात'' शब्दों के स्थान पर, ''माल या सेवाओं या तकनीक का आयात या निर्यात'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु इस उपधारा के उपबंध सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात की दशा में केवल तब लागू होंगे, जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के अधीन फायदों का उपभोग कर रहा है या विनिर्दिष्ट सेवाओं या विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों का व्यौहार करता है।'';

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) किसी अन्य विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी माल के आयात या निर्यात के लिए न तो कोई परमिट या अनुज्ञप्ति आवश्यक होगी, न ही कोई माल इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अधीन जैसा अपेक्षित किया जाए उसके सिवाय आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं होगा।''।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''5. केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विदेश व्यापार नीति विरचित कर सकेगी और उसकी घोषणा कर सकेगी और उस नीति का, उसी रीति से, संशोधन भी कर सकेगी: विदेश व्यापार नीति।

परंतु केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि विशेष आर्थिक जोन की बाबत, विदेश व्यापार नीति माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी को ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगी, जो उसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में, ''निर्यात और आयात नीति'' शब्दों के स्थान पर, ''विदेश व्यापार नीति'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 6 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 7 का संशोधन।

''परंतु सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात और आयात की दशा में, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता कोड संख्यांक केवल तभी आवश्यक होगा, जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के अधीन फायदा ले रहा है या विनिर्दिष्ट सेवाओं या विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के संबंध में व्यौहार करता है।''।

धारा 8 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जहां,—

(क) किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या किसी विदेश नीति या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क या विदेशी मुद्रा से संबंधित या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का उल्लंघन किया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ऐसा कोई अन्य आर्थिक अपराध किया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ख) महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी रीति में कोई आयात या निर्यात किया है, जो भारत के किसी अन्य देश के साथ व्यापार संबंधों पर या आयात या निर्यात में लगे अन्य व्यक्तियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है या जिससे देश की साख या माल या उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं या प्रौद्योगिकी की बदनामी हुई है; या

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या विदेश व्यापार नीति के उल्लंघन में विनिर्दिष्ट माल या सेवा या प्रौद्योगिकी का आयात या निर्यात करता है,

वहां महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति से अभिलेख या कोई अन्य जानकारी मांग सकेगा और उस व्यक्ति को लिखित सूचना देने के पश्चात्, जिसमें उसे उन आधारों की जानकारी दी जाएगी जिन पर आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक को निलंबित या रद्द किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है तथा उसे ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित अभ्यावेदन करने का और यदि वह व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस व्यक्ति को दिए गए आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक को ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित या रद्द कर सकेगा।";

(ख) उपधारा (2) में, "किसी माल का आयात या निर्यात", शब्दों के स्थान पर "किसी माल या सेवा या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए कोई स्क्रिप या कोई लिखत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्—

"(2) महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी आवेदन पर और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, ऐसे वर्ग या वर्गों के माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का, जो विहित की जाएं, आयात या निर्यात करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति दे सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या उसे देने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा और वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र, कोई स्क्रिप या कोई लिखत दे सकेगा या नवीकृत कर सकेगा या ऐसी इंकारी के कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, देने या नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा।"।

नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 3क

परिमाणात्मक निर्बंधन

परिमाणात्मक निर्बंधन अधिरोपित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

9क. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि भारत में किन्हीं मालों का आयात, ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी दशाओं के अधीन किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो सकती है या होने की आशंका है, तो वह ऐसे माल के आयात पर ऐसे परिमाणात्मक निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो वह ठीक समझे:

परन्तु ऐसे परिमाणात्मक निर्बंधन किसी विकासशील देश से उदभूत होने वाले किसी माल पर तब तक अधिरोपित नहीं किए जाएंगे जब तक उस देश से ऐसे माल के आयातों का शेयर तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है या जहां ऐसा माल एक से अधिक विकासशील देशों से उद्भूत होता है, वहां जब तक सभी ऐसे देशों से एक साथ मिलकर आयातों का योग भारत में ऐसे माल के कुल आयातों के नौ प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

(2) इस धारा के अधीन अधिरोपित परिमाणात्मक निर्बंधन, जब तक पूर्व में प्रतिसंहृत न किए गए हों, ऐसे अधिरोपण की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी नहीं रहेंगे:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति या उसकी आशंका को समायोजित करने के उपाय किए हैं और यह आवश्यक है कि परिमाणात्मक निर्बंधन ऐसी क्षति या उसकी आशंका को रोकने के लिए और समायोजन को सुकर बनाने के लिए अधिरोपित किए जाते रहें तो वह उक्त अवधि को चार वर्ष से परे विस्तारित कर सकेगी:

परंतु यह और कि किसी भी दशा में परिमाणात्मक निर्बंधन उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्बंधन पहली बार अधिरोपित किए गए थे, दस वर्ष की अवधि से परे लागू नहीं होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, उस रीति का, जिसमें ऐसे माल की, जिसका आयात इस धारा के अधीन परिमाणात्मक निर्बंधनों के अध्यधीन होगा, पहचान की जा सकेगी और ऐसी रीति का, जिसमें ऐसे माल के संबंध में गंभीर क्षति के कारणों या गंभीर क्षति की आशंका के कारणों को अवधारित किया जा सकेगा, उपबंध कर सकेगी।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''विकासशील देश'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचित देश अभिप्रेत हैं;

(ख) ''घरेलू उद्योग'' से ऐसे माल के उत्पादक (जिनके अन्तर्गत कृषि माल के उत्पादक भी हैं) अभिप्रेत है,—

(i) भारत में ऐसे संपूर्ण समान माल या सीधे प्रतिस्पर्धी माल; या

(ii) जिसका भारत में समान माल या सीधे प्रतिस्पर्धी माल का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त माल के कुल उत्पादन के मुख्य अंश का गठन करता है;

(ग) ''गंभीर क्षति'' से ऐसी क्षति अभिप्रेत है, जिसके कारण किसी घरेलू उद्योग की प्रास्थिति में महत्वपूर्ण व्यापक ह्रास होता है;

(घ) ''गंभीर क्षति की आशंका'' से गंभीर क्षति का स्पष्ट और आसन्न संकट अभिप्रेत है;'।

धारा 10 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी अपेक्षाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से, जो विहित किया जाए, प्राधिकृत कर सकेगी,—

(क) ऐसे परिसरों में, जहां माल आयात या निर्यात के प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं,

भंडारित या प्रसंस्कृत, विनिर्मित किए जाते हैं, उनका व्यापार या प्रदाय या उन्हें प्राप्त किया जाता है, प्रवेश करने और ऐसे माल, माल के ऐसे आयात या निर्यात से संबंधित दस्तावेजों, वस्तुओं और हस्तांतरण पत्रों की तलाशी लेने, उनका निरीक्षण करने तथा अभिग्रहण करने,

(ख) ऐसे परिसरों में, जहां से सेवाएं या प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाती है या प्रदाय, प्राप्त या उपभोग या प्रयुक्त की जाती हैं प्रवेश करने और ऐसे माल, ऐसी सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात से संबंधित वस्तुओं, दस्तावेजों और हस्तांतरण पत्रों की तलाशी लेने, उनका निरीक्षण करने तथा अभिग्रहण करने:

परंतु खंड (ख) के उपबंध सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात और निर्यात की दशा में केवल तभी लागू होंगे, जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के अधीन फायदा प्राप्त करता है या विनिर्दिष्ट सेवाओं या विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों में व्यौहार करता है।''।

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन।

''11. (1) किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्यात या आयात इस अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों और तत्समय प्रवृत्त विदेश व्यापार नीति के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या विदेश व्यापार नीति के उल्लंघन में कोई निर्यात या आयात करेगा या उसे करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा या प्रयत्न करेगा, वहां वह, दस हजार रुपए से अन्यून और उस माल या सेवा या प्रौद्योगिकी के, जिसके बारे में कोई उल्लंघन किया गया है, या करने का प्रयत्न किया गया है, मूल्य के पांच गुना से अनधिक की, इनमें से जो भी अधिक हो, की शास्ति का भागी होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति महानिदेशक या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज पर यह जानते हुए या ऐसा विश्वास करने का कारण होते हुए हस्ताक्षर करता है या उसका उपयोग करता है या उसे प्रस्तुत, हस्ताक्षरित या उपयोग करवाता है कि ऐसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज कूटरचित है या उसमें फेरफार की गई है या किसी सारवान् विशिष्टि के संबंध में मिथ्या है तो वह दस हजार रुपए से अन्यून या ऐसे माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के, जिसके संबंध में ऐसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो, मूल्य के पांच गुना से अनधिक की, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति का भागी होगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उसे सूचना दिए जाने पर, कोई उल्लंघन स्वीकार करता है वहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसे वर्ग या वर्गों या मामलों में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम, परिनिर्धारण के रूप में, अवधारित कर सकेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति की, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं की जाती है, निम्नलिखित किसी एक या अधिक पद्धतियों द्वारा वसूल की जा सकेगी, अर्थात्:—

(क) महानिदेशक इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी रकम की, ऐसे व्यक्ति को देय किसी ऐसी धनराशि से, जो ऐसे अधिकारी के नियंत्रणाधीन हो, कटौती कर सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से ऐसी कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा; या

(ख) महानिदेशक किसी सीमाशुल्क अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी रकम की ऐसे व्यक्ति को देय किसी ऐसी धनराशि से, जो ऐसे सीमाशुल्क अधिकारी के नियंत्रणाधीन हो, इस प्रकार कटौती करे, मानो उक्त रकम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन संदेय हो; या 1962 का 52

(ग) महानिदेशक, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क के किसी अन्य अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस प्रकार संदेय रकम की, ऐसे व्यक्ति के ऐसे माल (जिसके अन्तर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबद्ध माल भी है) को, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क के किसी अन्य अधिकारी के नियंत्रणाधीन हों, निरुद्ध करके या उनका विक्रय करके इस प्रकार
1962 का 52 वसूली करे मानो उक्त रकम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन संदेय हो; या

(घ) यदि रकम की खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में उपबंधित रीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति से वसूली नहीं की जा सकती है तो,—

(i) महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार कर सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम विनिर्दिष्ट होगी और उसे उस जिले के कलक्टर को भेज सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कोई संपत्ति है या वह निवास करता है या कारबार करता है और उक्त कलक्टर ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, तद्धीन विनिर्दिष्ट रकम की ऐसे व्यक्ति से वसूली करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा, मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो; या

(ii) महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी (जिसके अन्तर्गत
1962 का 52 सीमाशुल्क का ऐसा कोई अधिकारी भी है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन तब अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा) और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उसे तब तक इस प्रकार निरुद्ध रखेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता, मानो उक्त रकम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन संदेय हो; और उस दशा में, यदि उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् का या संपत्ति को रखने का खर्च, किसी ऐसे करस्थम् के पश्चात् के आगामी तीस दिन की अवधि के लिए असंदत्त रहता है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करवा सकेगा और ऐसे विक्रय के आगमों से संदेय रकम और खर्चों, जिसके अन्तर्गत असंदत्त रह गया विक्रय का खर्च भी है, को पूरा कर सकेगा और किसी अधिशेष, यदि कोई हो, को ऐसे व्यक्ति को सौंप देगा।

(6) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन निष्पादित किसी बंधपत्र या अन्य लिखत के निबंधन यह उपबंध करते हैं कि ऐसी लिखत के अधीन शोध्य किसी रकम की वसूली उपधारा (5) में अधिकथित रीति में की जा सकेगी, वहां ऐसी रकम की वसूली, वसूली की किसी अन्य पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपधारा के उपबंधों के अनुसार की जा सकेगी।

(7) इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी ऐसे व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है, आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, शास्ति का संदाय या उसकी वसूली किए जाने तक निलंबित किया जा सकेगा।

(8) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या विदेश व्यापार नीति का कोई उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या करने का प्रयत्न किया जाता है, वहां किसी पैकेज, आवेष्टक या पात्र और किसी प्रवहण सहित माल (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है), ऐसी अपेक्षाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन अधिहृत माल (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है) या प्रवहण को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, माल या प्रवहण के बाज़ार मूल्य के बराबर मोचन प्रभारों का संबद्ध व्यक्ति द्वारा संदाय करने पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निर्मुक्त किया जा सकेगा।''।

नई धारा 11क और धारा 11ख का अंतःस्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

शास्तियों के रूप में वसूल की गई राशियों को भारत की संचित निधि में जमा करना।

"11क. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गईं सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

निर्यात बाध्यता व्यतिक्रम के नियमितीकरण हेतु समाधान आयोग को सशक्त करना।

11ख. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 के अधीन गठित किए गए समाधान आयोग द्वारा आदेश किए गए अनुसार सीमाशुल्क और उस पर ब्याज का समाधान इस अधिनियम के अधीन समाधान समझा जाएगा।"। 1944 का 1

धारा 14 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 14 में, "माल" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है "माल (जिसके अन्तर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

नए अध्याय 4क का अंतःस्थापन।

15. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 4क

विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण

विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण।

14क. (1) इस अध्याय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रणों के संबंध में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005, विनिर्दिष्ट माल, प्रौद्योगिकी या सेवाओं के निर्यात अन्तरणों, पुनःअंतरणों, किए गए अभिवहन, पोतांतरण और उसमें दलाली को लागू होगा। 2005 का 21

(2) सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के सभी पद, अभिव्यक्तियां या उपबंध, विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकी को ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 2005 का 21

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अध्याय का कोई उपबंध,—

(क) किन्हीं माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकियों को लागू नहीं होगा; या

(ख) किन्हीं ऐसे माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकियों को ऐसे अपवादों, उपान्तरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अन्तरण संबंधी नियंत्रण।

14ख. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकी के अन्तरण के संबंध में नियंत्रण के अधिरोपण के लिए या उसके संबंध में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप नियम बना सकेगी। 2005 का 21

(2) इस अध्याय के अधीन अधिसूचित कोई माल, सेवाएं या प्रौद्योगिकी का निर्यात, अन्तरण, पुनःअन्तरण, अभिवहन या पोतान्तरण, इस अधिनियम, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करने के सिवाय, नहीं किया जाएगा।

संपूर्ण नियंत्रण रखना।

14ग. कोई व्यक्ति, किसी सामग्री, उपस्कर या प्रौद्योगिकी का, यह जानते हुए कि ऐसी सामग्री, उपस्कर या प्रौद्योगिकी, जैव आयुध, रासायनिक आयुध, अणु आयुध या अन्य अणु विस्फोटक युक्ति को डिजाइन करने या उसके विनिर्माण में अथवा उनकी मिसाइल परिदान प्रणाली में उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, निर्यात नहीं करेगा।

14घ. महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, निलंबित या रद्द कर सकेगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति को ऐसे आदेश के छह मास के भीतर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और तदुपरांत महानिदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो लिखित में आदेश द्वारा उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपान्तरित या प्रतिसंहृत कर सकेगा। किसी अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण।

14ङ. (1) विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकियों के संबंध में किसी उल्लंघन की दशा में शास्ति सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार होगी। अपराध और शास्तियां। 2005 का 21

(2) जहां कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं अथवा प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के संबंध में इस अध्याय के किसी उपबंध (किन्हीं उपबंधों) का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास अथवा दुष्प्रेरण करता है, वह, किसी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उस पर अधिरोपित की जाए, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 में अनुबंधित अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। 2005 का 21

(3) कोई न्यायालय, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।''।

16. मूल अधिनियम के ''अध्याय 5'' के नीचे उपशीर्ष में ''पुनरीक्षण'' शब्द के स्थान पर ''पुनर्विलोकन'' शब्द रखा जाएगा। अध्याय 5 के शीर्षक का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''माल'' शब्द के स्थान पर ''माल (जिसके अन्तर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे। धारा 15 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''16. महानिदेशक द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश की दशा में केन्द्रीय सरकार या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश की दशा में महानिदेशक स्वप्रेरणा से या अन्यथा ऐसे विनिश्चय या आदेश की, यथास्थिति, शुद्धता, विधिमान्यता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी कार्यवाही के अभिलेख मंगा सकेगी/मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगी/कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश कर सकेगी/कर सकेगा, जो वह ठीक समझे: पुनर्विलोकन।

परन्तु इस धारा के अधीन किसी विनिश्चय या आदेश में तब तक इस प्रकार फेरफार नहीं किया जाएगा, जिससे कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जब तक कि,—

(क) ऐसे व्यक्ति ने ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना प्राप्त न की हो कि ऐसे विनिश्चय या आदेश में फेरफार क्यों न किया जाए; और

(ख) ऐसे व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का और यदि वह ऐसी वांछा करे तो, अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।''।

19. मूल अधिनियम की धारा 17 में, ''पुनरीक्षण'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, ''पुनर्विलोकन'' शब्द रखा जाएगा। धारा 17 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नई धारा 18क का अंत:स्थापन।

''18क. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।''। अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना।

धारा 19 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ख) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए कोई स्क्रिप या कोई लिखत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) ऐसे वर्ग या वर्गों के माल (जिनके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी हैं), जिनके लिए धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए कोई स्क्रिप या कोई लिखत दी जा सकेगी;";

(ग) खंड (घ) और खंड (ङ) में "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए कोई स्क्रिप या कोई लिखत" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङक) वह रीति, जिसमें उन मालों की पहचान की जा सकेगी, जिनका आयात परिमाणात्मक निर्बंधनों के अधीन रहते हुए किया जाएगा और वह रीति, जिसमें ऐसे मालों के संबंध में गंभीर क्षति के कारण या गंभीर क्षति की आशंका के कारणों को धारा 9क की उपधारा (3) के अधीन अवधारित किया जा सकेगा।";

(ङ) खंड (च) में, "माल" शब्द के स्थान पर, "माल (जिसके अंतर्गत सेवा या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(च) खंड (छ) में "धारा 11 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 11 की उपधारा (4)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(छ) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) वे अपेक्षाएं और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए माल (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है) और प्रवहण, धारा 11 की उपधारा (8) के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे।";

(ज) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(झ) वह रीति, जिसमें और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए माल (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है) और प्रवहण धारा 11 की उपधारा (9) के अधीन मोचन प्रभारों का संदाय करने पर निर्मुक्त किए जा सकेंगे।"।

राष्ट्रपति ने दि फारेन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2010 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Act, 2010 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।
Secretary to the Government of India.

GMGIPMRND—4731OLW(S-3)—07-01-2011.